मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2304

04.08.2025 को उत्तर के लिए

कोयला आधारित उद्योगों से होने वाला प्रदूषण

2304. श्री अरविंद गणपत सावंत :
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर :
श्री संजय उत्तमराव देशमुख :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जित होती है जो जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार है और जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है;

(ख) महाराष्ट्र सहित देश में कोयला आधारित उद्योगों और बिजली उत्पादन उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) कोयला आधारित उद्योगों और बिजली उत्पादन उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने सक्षम नहीं है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्योगों के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु सीपीसीबी और एमपीसीबी दोनों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं या कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद है और पादप जीवन के लिए आवश्यक है। अन्य गैसों नामत: - मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी), परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी), सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6) और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड (NF_3); के साथ-साथ CO_2 भी ग्रीनहाउस गैस है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्टों अर्थात तृतीय राष्ट्रीय संसूचना (एनसी) और चतुर्थ द्विवार्षिक अद्यतन प्रतिवेदन (बीयूआर) के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 और 2020 के दौरान कोयले की खपत से हुआ कुल CO_2 उत्सर्जन क्रमशः 1474.79 और 1397.06 मिलियन टन CO_2 समतुल्य (एमटी CO_2) था, जिसमें विद्युत उत्पादन, लौह और इस्पात, सीमेंट, आदि से होने वाले उत्सर्जन शामिल थे।

(ख) से (च) सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में यथा उल्लिखित कार्यकलापों या परियोजना को शुरू करने से पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)/राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है। इसके अतिरिक्त, सभी एककों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से 'स्थापना हेतु सहमति (सीटीई)' और 'प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ)' प्राप्त करनी होती है। इन पर्यावरणीय अनुज्ञा-पत्रों में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु उपशमन उपायों सहित सभी आवश्यक शर्तें अनुबंधित की गई हैं। उपशमन उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए व्यापक पर्यावरणीय निगरानी कार्यतंत्र को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियमों और पर्यावरणीय शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियामक एजेंसियों को नियमित आधार पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत "विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण संबंधी मानक" अधिसूचित करता है। किन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध न होने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत यथा अधिसूचित सामान्य मानक लागू होते हैं। संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी उक्त मानकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों और साझा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं को स्व-विनियामक कार्यतंत्र और प्रदूषण के स्तरों पर निरंतर निगरानी के माध्यम से निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी अनुपालन हेतु ऑनलाइन सतत बहिस्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणालियां (ओसीईएमएस) संस्थापित करने का निदेश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उत्सर्जित व्यापार बहिस्राव और उत्सर्जनों के पर्यावरणीय प्रदूषकों के वास्तविक समय के मान सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को 24x7 आधार पर ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं। केंद्रीय सॉफ्टवेयर आंकड़ों को संसाधित करता है और प्रदूषक मापदंड का मान विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक होने के मामले में स्वचालित एसएमएस चेतावनी-संदेश सृजित होता है तथा औद्योगिक एकक, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है ताकि उद्योग द्वारा तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सके।

विगत तीन वर्षों के दौरान, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा ओसीईएमएस डेटा के आधार पर कुल 366 एककों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 192 एकक पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन नहीं करते पाए गए थे। पर्यावरणीय कानूनों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई (बंद करने के निदेश : 5; कारण बताओ नोटिस : 116; निदेश : 22; एसपीसीबी/पीसीसी को निदेश : 49) की गई। इन निरीक्षणों में से 20 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण, ओसीईएमएस आधारित निरीक्षणों के तहत किया गया था। इन 20 एककों में से 7 एकक पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन नहीं करते पाए गए थे। पर्यावरण कानूनों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई (कारण बताओ नोटिस : 6; निदेश : 1) की गई।

महाराष्ट्र में, चंद्रपुर शहर के निकट कोयला खदानों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, जल छिड़काव-यंत्र संस्थापित किए गए हैं तथा सड़कों के किनारे, कोयला प्रहस्तन सुविधाओं पर और खनन क्षेत्रों के भीतर नियमित रूप से प्रचालित किए जाते हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), कोयला आधारित उद्योगों और विद्यत उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विशिष्ट निबंधन और शर्तों सहित सहमति प्रदान करता है। एमपीसीबी, सहमति संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच के लिए उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है। सहमति शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उक्त बोर्ड द्वारा उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाती है। एमपीसीबी ने अपने निरीक्षणों के दौरान विगत तीन वर्षों के दौरान ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले 271 उद्योगों में उल्लंघन पाया है और इन उद्योगों को 'कारण बताओ नोटिस', अंतरिम/बंद करने के निदेश जारी कर कार्रवाई की है।

*****